प्रकरण संख्या: 31 / 2021

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

अजय पुत्र मदनलाल निवासी 19 ए0जी0 तह0 रावतसर जिला हनुमानगढ़

अप्रार्थी

मुकदमा अर्न्तगत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थित — 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।

2 श्री रामकुमार कस्वां अभिभावक अप्रार्थी।

--:निर्णय:--

दिनांक 21.06.2021

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा [illegible] प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 23.03.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह कार्यालय स्टाफ के साथ पेट्रोल डीजल की [illegible] भण्डारण एवं परिवहन की रोकथाम विरूद्ध अभियान के तहत मिर्जावाली मेर तह0 टिब्बी नाका लगाकर जांच हेतु मे उपस्थित हुए। मौके पर हरियाणा बॉर्डर से आती हुई मोटर साईकिल HERO-HF-DELUX RJ-31-SK-9150 को रूकवाकर वाहन की तलाशी ली गई। मौके पर उपस्थित गवाहों के समक्ष तलाशी के दौरान 50 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक कैनी व एक [illegible] मा0 श्री किसान सेवा केन्द्र, नीमला (हरियाणा) एवं पेट्रोल खरीद के दस्तावेज मिले, वाहन चालक ने स्वयं का नाम अजय पुत्र मदनलाल उम्र 22 वर्ष जाति जाट निवासी 19 एजी तह0 टिब्बी का होना बताया। मुताबिक अजय उक्त वाहन में भरा समस्त पेट्रोल मा0श्री किसान सेवा केन्द्र नीमला (हरियाणा) स्थित पेट्रोल पम्प से खरीद करना बताया एवं पेट्रोल के उपयोग एवं परिवहन के संबंध मे संतोषजनक जवाब नहीं दिया एवं न ही कोई वैध दस्तावेज लाईसेंस, परमिट आदि होना बताया। मौके पर पाये गये 50 लीटर पेट्रोल मय 1 प्लास्टिक कैनी को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री रजीराम पुत्र मनीराम उम्र 45 वर्ष जाति जाट हाल उचित मूल्य दुकानदार मिर्जावाली मेर तह0 टिब्बी को सुपुर्दगी मे दिया गया गया। इस प्रकार अजय पुत्र मदनलाल उम्र 22 वर्ष जाति जाट निवासी 19 एजी तह0 टिब्बी द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्चवेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लंघन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए प्रस्तुत कर राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा निवेदन किया गया कि जब्त मोटर साईकिल HERO-HF-DELUX RJ-31-SK-9150 मय 50 लीटर पैट्रोल मय एक प्लास्टिक कैनी को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा पेट्रोल को ज्वलनशील पदार्थ होने से जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 08.04.2021 को दिये जा चुके है।

अप्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम किया गया। अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मे अंकित किया गया कि 6ए एक्ट प्रार्थना पत्र में अंकित मोटर साईकिल लेकर अप्रार्थी द्वारा हरियाणा से 50 लीटर [illegible]ल व एक प्लास्टिक कैनी अपने घरेलू उपयोग हेतु ले जाना बता दिया था एवं 50 लीटर [illegible]ल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नही है, ना ही [illegible] हेतु किसी लाइसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर [illegible]ल परिवहन करने की छूट दी गई है। वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। अतः

[illegible]टर

अप्रार्थी के विरूद्ध स्टेट की ओर से आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, को खारिज कर अप्रार्थी की [illegible] मोटर साईकिल HERO-HF DELUX RJ-31-SK-9150 मय दौरान 50 लीटर पैट्रोल मय 1 प्लास्टिक कैनी [illegible] लौटाया जाकर जब्ती की कार्यवाही निरस्त करने का निवेदन किया है।

बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा पैट्रोल को कैनी के साथ जब्त किया गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त पैट्रोल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेंस व परमिट के अवैध पैट्रोल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पैट्रोल मय वाहन राजसात किया जावे।

अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी अपने उक्त मोटर साईकिल लेकर हरियाणा से 50 लीटर पैट्रोल व एक प्लास्टिक कैनी अपने घरेलू उपयोग हेतु ले जाना बता दिया था एवं 50 लीटर पैट्रोल परिवहन करने हेतु राजस्थान राज्य एवं भारतवर्ष में आपराधिक कृत्य नहीं है, ना ही इस हेतु किसी लाइसेन्स अथवा परमिट की आवश्यकता है। भारत सरकार द्वारा 2500 लीटर पैट्रोल परिवहन करने की छूट दी गई है। वह किसी प्रकार से दण्डनीय अपराध नहीं है। अतः जब्तशुदा वाहन व पैट्रोल अप्रार्थी को लौटाकर प्रार्थी (अप्रार्थी सं0 01) के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप फरमाई जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। रिकार्ड के अनुसार अप्रार्थी द्वारा उक्त पैट्रोल की जब्ती के दौरान कोई वैध दस्तावेज प्रवर्तन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। ना ही तलाशी के दौरान यह सिद्ध किया कि उसके पास खुद के कितने वाहन हैं, जिसके लिए उसे लगातार पैट्रोल का परिवहन करना पड़ रहा है। अप्रार्थी ने तलाशी के वक्त कोई वाहनों के स्वामित्व के दस्तावेज आदि प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी का निजी उपयोग हेतु परिवहन किये जाने का तर्क साबित नहीं होता है। पत्रावली के संपूर्ण अवलोकन से अप्रार्थी का उक्त कृत्य 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी है।

अतः प्रार्थी राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय हनुमानगढ का प्रार्थना पत्र अंतर्गत 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर 50 लीटर पैट्रोल व एक प्लास्टिक कैनी को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 09.04.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है तथा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

जहां तक जब्तशुदा मोटर साईकिल HERO-HF-DELUX RJ-31 SK-9150 का प्रश्न है, वाहन मालिक के विरूद्ध दुबारा पुनरावर्ती नहीं हो कि चेतावनी के साथ केवल मात्र इस न्यायालय में दर्ज उक्त दर्ज धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रकरण में जब्तशुदा मोटर साईकिल HERO-HF-DELUX RJ-31-SK-9150 को जब्ती से निम्नानुसार सशर्त बरीउजार (मुक्त) किया जाता है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को आदेश दिये जाते हैं कि रजिस्टर्ड मालिक द्वारा वाहन के मालिकाना दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने पर उक्त जब्तशुदा मोटर साईकिल HERO-HF-DELUX RJ-31-SK-9150 के इंजिन नं0 व चैसिस नम्बर, वाहन की पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 21.06.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक असीजा)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ